रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244871
CG-DL-E-01042023-244871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
No. 195]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सा.का.नि. 242(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** इन नियमों का नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में, शीर्षक "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)" "उपाबंध" में, के अधीन,-

(क) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 101" में,-

(i) अनुच्छेद 39कछ के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"39कज *एकल लेनदेन से उत्पन्न आस्थगित कर से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों* के *द्वारा* अनुच्छेद ख 1 संशोधित किया गया एवं अनुच्छेद ख 14 जोड़ा गया है। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को 1 अप्रैल 2023 को या इसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू करेगा।"

(ii) परिशिष्ट ख में,

(क) अनुच्छेद ख**1** में, मद (च) और (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(च) सन्निहित व्युत्पन्न (अनुच्छेद ख9);

(छ) सरकारी ऋण (अनुच्छेद ख10- ख12);

(ज) [देखें परिशिष्ट 1]; तथा

(झ) पट्टे और विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी प्रकार के अन्य दायित्वों से संबंधित आस्थगित कर (अनुच्छेद ख14)।"

(ख) अनुच्छेद ख12 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"ख13 [देखे परिशिष्ट 1]

पट्टे एवं विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी प्रकार के अन्य दायित्वों से संबंधित आस्थगित कर

ख14 भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 12, *आयकर* के अनुच्छेद 15 और 24 एक प्रतिष्ठान को विशेष परिस्थितियों में एक आस्थगित कर आस्ति या दायित्व की मान्यता के लिए छूट प्रदान करते हैं। इस छूट के वाबजूद, भारतीय लेखा मानकों की संक्रमणकालीन तारीख पर, प्रथम- बार अंगीकर्त्ता एक आस्थगित कर आस्ति को उस सीमा तक मान्यता देगा कि यह संभव लगे कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति कटौती योग्य अस्थायी अंतर प्रयोग में लाया जा सकता है और एक आस्थगित कर दायित्व को सभी कटौती योग्य व कर योग्य अस्थाई अन्तरों को मान्यता देगा जो निम्नलिखित के साथ जुड़े हो:

(क) प्रयोग अधिकार आस्तियां एवं पट्टे दायित्व; एवं

(ख) विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी प्रकार के अन्य दायित्व और संबंधित आस्ति की लागत के एक अंश के रूप में मान्य तद्नुरूप राशियां।";

(iii) परिशिष्ट 1 में,

(क) अनुच्छेद 7 के मद (ii) का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुच्छेद 14 के पश्चात, निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"15. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)1, के अनुच्छेद ख1(ज) और ख13 जो बीमा अनुबंधों के अपवादों से संबंधित है सम्मिलित नहीं किये गए हैं चूंकि ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक 17, *बीमा अनुबंध,* के जारी होने के कारण संशोधनों से संबंधित हैं और जिसके तद्नुरूपी भारतीय लेखा मानक नहीं जारी किया गया है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) 1, की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे अतः भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 101 में इन अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है।"

(ख) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 102" में, अनुच्छेद 24 से पूर्व शीर्षक "**यदि इक्विटी वित्त लिखतों के उचित मूल्य का अनुमान विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता**" पर उपस्थित पाद टिप्पण (फुटनोट) जो शब्दों "उदाहरण के लिए" से प्रारम्भ और शब्दों "नहीं किया जाता" पर समाप्त हो रहा है, यहां से हटाया जाएगा तथा अनुच्छेद 23 के अंत में शब्दों "प्रतिबंधित नहीं करेगी" पर जोड़ा जाएगा।

(ग) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 103" में,-

(i) परिशिष्ट ग में, अनुच्छेद 13 में उपमद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ख) तारीख जिस पर अंतरिती अंतरणकर्ता पर नियंत्रण ग्रहण करता है;"

(घ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 107" में,-

(i) अनुच्छेद 21 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को रखा जाएगा, अर्थात्:

"21. भारतीय लेखा मानक (इंडएएस)1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण,* के अनुच्छेद 117 के अनुसरण में एक प्रतिष्ठान सारवान लेखा नीति सूचना को प्रकट करता है। वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रयुक्त वित्तीय लिखतों के लिए माप आधार (आधारों) के बारे में सूचना, अपेक्षित सारवान लेखा नीति सूचना है।

(ii) अनुच्छेद 44जज के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"44झझ *लेखा-नीतियों का प्रकटन*, भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 1 के अनुच्छेद 21 व ख5 को संशोधित करता है । एक प्रतिष्ठान इस संशोधन को 1 अप्रैल 2023 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू करेगा।";

(iii) परिशिष्ट ख में, अनुच्छेद ख5 में,

(क) प्रारंभिक अनुच्छेद के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"अनुच्छेद 21 सारवान लेखा नीति सूचना को प्रकटन करने को कहता है जिसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त वित्तीय लिखितों के माप आधार (आधारों) के बारे में सूचना को शामिल करने की अपेक्षा है"

(ख) अंतिम अनुच्छेद के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के अनुच्छेद 122 में प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे सारवान लेखा नीति सूचना या अन्य टिप्पणियों के साथ, प्राक्कलनों को सम्मिलित करने के अतिरिक्त, अधिनिर्णयों का प्रकटन करें जो प्रबंधन ने प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में लिये हैं और उनका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर बहुत-ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।"

(ङ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 109" में, परिशिष्ट ख में, अनुच्छेद ख4.3.12 के उपमद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात,-

"(ख) इंड एएस 103 के परिशिष्ट ग में वर्णित सामान्य नियंत्रण के अधीन प्रविष्टियों या व्यवसायों का सम्मिश्रण; या"

(च) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 115" में, परिशिष्ट 1 में-

(i) अनुच्छेद 2 में, शब्द और अंक "अनुच्छेद 15" के स्थान पर शब्द और अंक "अनुच्छेद 51" रखा जाएगा;

(ii) अनुच्छेद **5** में, शब्द और अक्षर "परिशिष्ट घ" के स्थान पर शब्द और अक्षर "परिशिष्ट ख" रखा जाएगा।

(छ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 1" में, -

(i) अनुच्छेद **7** में परिभाषा "सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरण" से पूर्व, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

***"लेखा नीतियाँ*, भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्रक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*, के अनुच्छेद 5 में परिभाषित की गयी है और इस भारतीय लेखा मानक में यह पद सामान्य अर्थ से प्रयोग किया गया है।"**

(ii) अनुच्छेद 10 में, मद (ङ) में, शब्दों "महत्वपूर्ण लेखा नीतियां" के स्थान पर शब्दों "सारवान लेखा नीति सूचना" को रखा जाएगा;

(iii) अनुच्छेद 114 में, मद (ग) के उपमद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ii) सारवान लेखा नीति सूचना (देखें अनुच्छेद 117);";

(iv) अनुच्छेद 117 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को रखा जाएगा, अर्थात्:

"लेखा नीति सूचना का प्रकटीकरण

117. एक प्रतिष्ठान सारवान लेखा नीति की सूचना (देखें अनुच्छेद 7) का प्रकटन करेगा । लेखा नीति सूचना तभी सारवान होती है जब, प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य सूचना के साथ विचारार्थ करने पर, वह सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्रमुख उपयोग-कर्त्ताओं के उन निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा करती है जिसे वे उन वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं।"

(v) अनुच्छेद 117 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"117क. लेखा नीति सूचना जो गैर-सारवान लेनदेनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों से सम्बधित है, वे गैर-सारवान हैं और उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, लेखा नीति सूचना सम्बधित

लेनदेनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों की प्रकृति के कारण सारवान हो सकती है भले उसकी रकमों सारवान न हों। तथापि, सारवान लेनदेनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों से सम्बधित सभी लेखा नीति सूचना अपने आप में सारवान नहीं होती हैं।

117ख लेखा-नीति सूचना का सारवान होना अपेक्षित है यदि वह एक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्त्ताओं को वित्तीय विवरणों में अन्य सारवान सूचना को समझने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों में लेखा नीति सूचना को सारवान समझ सकता है यदि वह सूचना सारवान लेनदेनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों से सम्बधित है, और:

(क) प्रतिष्ठान ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपनी लेखा नीति परिवर्तित कर ली है और इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों की सूचना पर सारवान परिवर्तन हुआ है;

(ख) प्रतिष्ठान ने भारतीय लेखा मानकों द्वारा प्रदत्त एक या अधिक विकल्प से लेखा-नीति का चयन किया है;

(ग) एक भारतीय लेखा मानक के विशिष्ट प्रयोग के अभाव में, भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसरण में लेखा नीति का विकास किया गया हो।

(घ) लेखा नीति उस क्षेत्र से सम्बधित है जिसके लिए एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लेखा नीति के प्रयोग में कोई महत्वपूर्ण निर्णय या महत्वपूर्ण मान्यताओं को स्थान दे, और वह प्रतिष्ठान इन निर्णयों या मान्यताओं को अनुच्छेदों 122 व 125 के अनुसरण में प्रकट करे; अथवा

(ङ) उनका लेखाकरण जटिल है तथा प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्त्ताओं को उन सारवान लेनदेनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों को नहीं समझा जा सकता, ऐसी परिस्थिति तब उत्पन्न हो सकती है यदि एक प्रतिष्ठान सारवान लेनदेनों की एक श्रेणी के लिए एक-से अधिक भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग करता है।

117ग. लेखा नीति सूचना जो इस बात पर केन्द्रित है कि एक प्रतिष्ठान ने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं का प्रयोग किस प्रकार किया है, जो प्रतिष्ठान-विनिर्दिष्ट सूचना प्रदान करती है जो कि वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्त्ताओं के लिए मानकीकृत सूचना या ऐसी सूचना जो भारतीय लेखामानकों की अपेक्षाओं को सिर्फ दोहराती है या फिर उनका सारांश प्रस्तुत करती है, से अधिक उपयोगी होती है।

117घ. यदि एक प्रतिष्ठान गैर-सारवान लेखा नीति सूचना को प्रकट करता है तो वह सूचना सारवान लेखा नीति सूचना को अस्पष्ट नहीं करनी चाहिए।

117ङ. एक प्रतिष्ठान का यह निष्कर्ष कि एक लेखा-नीति सूचना गैर-सारवान है अन्य भारतीय लेखा मानकों में निर्धारित सम्बधित प्रकटन आवश्यकताएं प्रभावित नहीं करता हैं।";

(vi) अनुच्छेदों 118, 119, 120 तथा 121 का लोप किया जाएगा;

(vii) अनुच्छेद 122 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को रखा जाएगा, अर्थात्:

"**122. एक प्रतिष्ठान, प्रबंधन द्वारा प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के लागू करने की प्रक्रिया में लिए गए विवेकपूर्ण निर्णय (देखे अनुच्छेद 125) जो कि वित्तीय विवरणों में मान्य धनराशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव रखते है, को सारवान लेखा नीति सूचना या अन्य टिप्पणियों के सारांश में प्रकट करेगा** ।"

(viii) अनुच्छेद 139न के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"139प [देखें परिशिष्ट 1]

139फ *लेखा-नीतियों का प्रकटन*, के द्वारा *अनुच्छेद* 7,10,114,117 व 122, संशोधित हुए हैं तथा अनुच्छेद 117क - 117ङ जोड़े गए हैं और अनुच्छेद 118, 119 व 121 हटाए गए हैं। एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 1 में इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2023 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू करेगा।";

(ix) परिशिष्ट 1 में,

(क) अनुच्छेद 6 में, मद (x) के स्थान पर, निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(x) अनुच्छेद 118-121"

(ख) अनुच्छेद 10 के पश्चात्**,** निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा**,** अर्थात्**:**

"11. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 1 का अनुच्छेद 139(प), *दायित्वों का चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण* संशोधनों की प्रभावी तारीख के संदर्भ में जोड़ा गया था, को इंड एएस 1में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्योंकि इंड एएस 1 में संगत संशोधन जारी और अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 1 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे अतः इस आशय से इस अनुच्छेद संख्या को भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 1 में रहने दिया गया है।"

(ज**)** "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 8" में, **-**

(i) अनुच्छेद 5 में, 'लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन' कि परिभाषा के लिए जो, शब्दों "लेखा प्राक्कलन" से आरम्भ और शब्दों "नहीं कहा जा सकता" पर समाप्त होती है, के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"लेखा प्राक्कलन **वित्तीय विवरणों में मौद्रिक राशियां होती हैं जो माप अनिश्चितता के अधीन होती हैं।"**

(ii) अनुच्छेद 32 और इसके शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"लेखा प्राक्कलन

32. एक लेखा नीति यह अपेक्षा कर सकती है कि वित्तीय विवरणों की मदों का माप इस तरह से हो कि उसमें माप अनिश्चितता सम्मिलित हो, अर्थात्, लेखा नीति यह अपेक्षा करती है जिन्हें मौद्रिक राशियों पर मापा जाए जो प्रत्यक्ष रूप से संप्रेक्षित नहीं होती और केवल प्राक्कलित ही होती हैं। ऐसे मामले में, एक प्रतिष्ठान एक लेखा प्राक्कलन (अनुमान) का विकास करता है जो लेखा नीति में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करता है। लेखा प्राक्कलनों को विकसित करने में उन निर्णयों या मान्यताओं का प्रयोग करना सम्मिलित है जो नवीनतम उपलब्ध व विश्वसनीय सूचना पर आधारित होती हैं। लेखा प्राक्कलनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सम्मिलित है**:-**

(क) भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 109, *वित्तीय लिखतें,* को लागू करते हुए संभावित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता;

(ख) भारतीय लेखामानक (इंडएएस) 2, *सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)* को लागू करते हुए सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की एक मद की शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य;

(ग) भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 113, *उचित मूल्य माप* को लागू करते हुए, एक आस्ति या दायित्व का उचित मूल्य;

(घ) भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 16 को लागू करते हुए सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की एक मद का मूल्यह्लास व्यय; तथा

(ङ) भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 37, *प्रावधान, आकास्मिक दायित्व एवं आकास्मिक आस्तियां* को लागू करते हुए वारंटी बाध्यताओं के लिए प्रावधान।

32क एक लेखा प्राक्कलन (अनुमान) का विकास करने के लिए एक प्रतिष्ठान माप तकनीकों व निविष्ट (इनपुट्स) का उपयोग करता है। माप तकनीकों में प्राक्कलन तकनीकें (जैसे कि, भारतीय लेखामानक 109 को लागू करते हुए संभावित ऋण हानियों के लिए एक हानि भत्ता के माप में प्रयुक्त तकनीकें) एवं मूल्यांकन तकनीकें (जैसे कि, भारतीय लेखा मानक 113 को लागू करते हुए एक आस्ति या दायित्व के उचित मूल्य के माप में प्रयुक्त तकनीकें) सम्मिलित हैं।

32ख. भारतीय लेखामानकों में शब्द 'प्राक्कलन' कभी-कभी ऐसे प्राकल्लन के लिए भी संदर्भित किया जाता है जो कि इस मानक में यथा परिभाषित लेखा प्राक्कलन के अनुसार है। उदाहरणस्वरूप यह कभी-कभी लेखा प्राक्कलनों का विकास करने में प्रयुक्त निविष्ट (इन्पुट) को निर्दिष्ट करता है।"

(iii) अनुच्छेद 34 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन

34. एक प्रतिष्ठान को एक लेखा-प्राक्कलन को, यदि उन परिस्थितियों जिसमें प्राक्कलन किया गया है वे ही बदल जाए या फिर नई सूचना, नए विकास या अधिक अनुभव के परिणामस्वरूप परिवर्तित करना आवश्यक हो सकता है। प्रकृतिवश, एक लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन पूर्व अवधियों से संबंधित नहीं होता है और न ही यह त्रुटियों को ठीक करता है।

34क लेखा प्राक्क्लनों पर किसी निविष्ट में परिवर्तन या माप तकनीक में परिवर्तन का प्रभाव, लेखा प्राकक्लन में परिवर्तन है जब तक कि वे पूर्ववर्ती अवधियों कि त्रुटियों के फलस्वरूप नहीं हो।";

(iv) अनुच्छेद 36 से पहले, निम्नलिखित शीर्षक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तनों को लागू करना"

(v) अनुच्छेद 38 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"38. एक लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के प्रभाव की भावी मान्यता का अर्थ है कि वह परिवर्तन, लेन-देनों, अन्य घटनाओं व परिस्थितियों पर उस परिवर्तन की तारिख से लागू होता है। लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन केवल वर्तमान अवधि के लाभ या हानि या वर्तमान के साथ-साथ भावी अवधियों के लाभ-हानि को प्रभावित कर सकता है। उदाहरणतया संभावित ऋण हानियों की हानि भत्ता में परिवर्तन केवल वर्तमान अवधि के लाभ या हानि को प्रभावित करता है अतः उसे वर्तमान अवधि में मान्यता दी जाती है। लेकिन, मूल्यह्रास-योग्य आस्ति के अनुमानित लाभकारी जीवन में परिवर्तन से या उसके भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के प्रतिमान से, वर्त्तमान अवधि और भावी अवधि के दौरान आस्ति के लाभकारी जीवन के मूल्यह्रास व्यय प्रभावित है। दोनों ही मामलों में, वर्तमान अवधि के परिवर्तन का प्रभाव वर्तमान अवधि में आय या व्यय के रूप में ही देखा जाएगा। अगर कोई प्रभाव भावी अवधियों पर पड़ता है तब वह इन भावी अवधियों के आय या व्यय के रूप में माना जाएगा।";

(vi) अनुच्छेद 48 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"48. त्रुटियों का निराकरण और लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन दो अलग-अलग चीजें हैं। लेखा प्राक्कलन प्रकृतिवश वे अनुमान हैं जिन्हें अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर बदला जा सकता है। उदाहरणतया, किसी आकस्मिकता के फलस्वरूप लाभ या हानि की मान्यता (पहचान) किसी त्रुटि का निराकरण नहीं है।";

(vii) अनुच्छेद 54ज के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"54झ *लेखा प्राक्कलनों की परिभाषा* के द्वारा अनुच्छेद 5, 32, 34, 38 व 48 संशोधित किये गए हैं और अनुच्छेद 32क, 32ख व 34क जोड़े गए हैं। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को 1 अप्रैल 2023 को या इसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू करेगा। एक प्रतिष्ठान संशोधनों को उन लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तनों और लेखा नीतियों में परिवर्तनों पर लागू करेगा जो संशोधनों को लागू करने वाले प्रथम वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में या उसके पश्चात हुए हो।"

(झ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 12" में, -

(i) अनुच्छेद 15 में, मद (ख) के,

(क) उपमद (i) में, शब्द "तथा" का लोप किया जाएगा।

(ख) उपमद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ii) लेन-देन के समय पर जो न तो लेखा लाभ और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है; और

(iii) लेनेदेन के समय, इससे समान कर योग्य और कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर उत्पन्न नहीं होते हैं।"

(ii) अनुच्छेद 22 में, उपमद (ख) और (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ख) यदि लेनदेन या तो लेखा लाभ या कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है अथवा इससे समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थाई अन्तर उत्पन्न होते है तो एक प्रतिष्ठान किसी भी आस्थगित कर दायित्व अथवा

आस्ति को मान्यता देता है तथा परिणत हो रहे आस्थिगित कर खर्च अथवा आय को लाभ अथवा हानि में मान्यता देता है (देखे अनुच्छेद 59);

(ग) यदि लेनदेन व्यावसायिक संयोजन नहीं है, वह न तो लेखा लाभ और न ही करयोग्य लाभ को प्रभावित करता है तथा वह समान करयोग्य व कटौतियोग्य अस्थायी अन्तर उत्पन्न नहीं करता है तो एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 15 तथा 24 द्वारा दी गयी छूट के अभाव में परिणत हो रही आस्थगित कर दायित्व अथवा आस्ति को मान्यता देगा तथा उसी राशि के द्वारा आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को समायोजित करेगा। इस प्रकार के समायोजन वित्तीय विवरणों को कम पारदर्शी बना देंगे। अतः यह मानक, एक प्रतिष्ठान को प्रारंभिक मान्यता पर या तदन्तर परिणत होने वाली आस्थगित कर दायित्व अथवा आस्ति को मान्यता देने की अनुमति नहीं देता (देखें नीचे उदाहरण)। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान अमान्य आस्थगित कर दायित्व या आस्ति में उत्तरवर्ती परिवर्तनों को मान्यता नहीं देता क्योंकि आस्ति मूल्यह्रासित हो गयी है।"

(iii) अनुच्छेद 22 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"22क. एक लेनदेन, जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है, एक आस्ति और एक दायित्व की प्रारम्भिक मान्यता का कारण बन सकता है और लेनदेन के समय वह न तो लेखांकन लाभ को और न ही कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, एक पट्टे की प्रारम्भिक तारीख पर, एक पट्टेदार सामान्यतया एक पट्टा दायित्व और अनुरूप राशि को आस्ति के प्रयोग अधिकार की लागत के रूप में मान्यता देता है। लागू कर कानून के अनुसार, ऐसे लेनदेन से आस्ति व दायित्व की प्रारम्भिक मान्यता पर समान कर योग्य व कटौती योग्य अस्थाई अन्तर उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे अस्थाई अन्तरों पर अनुच्छेद 15 व 24 में दी गयी छूट लागू नहीं होती है और एक प्रतिष्ठान कोई भी फलस्वरूप आस्थगित कर दायित्व व आस्ति को मान्यता देता है।"

(iv) अनुच्छेद 24 में,-

(क) मद (क) में, शब्द "तथा" का लोप किया जाएगा।

(ख) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ख) लेनदेन के समय, पर न तो लेखा लाभ को, न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है; तथा

(ग) लेनदेन के समय, इससे समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थाई अन्तर उत्पन्न नहीं होते हैं।";

(v) अनुच्छेद 98झ के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"98ञ. *एकल लेनदेन से उत्पन्न आस्थगित कर से सम्बंधित आस्तियों एवं दायित्वों के* द्वारा अनुच्छेद 15, 22 व 24 संशोधित हुए है और अनुच्छेद 22क जोड़ा गया है। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को 1 अप्रैल 2023 को या इसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए अनुच्छेद 98ट-98ठ के अनुसरण में लागू करेगा।

98ट. एक प्रतिष्ठान *एकल लेनदेन से उत्पन्न आस्थगित कर से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों* को सबसे पुराने तुलनात्मक अवधि के प्रारम्भ से या उसके बाद घटित लेन देन के लिए लागू करेगा।

98ठ एक प्रतिष्ठान *एकल लेनदेन से उत्पन्न आस्थगित कर से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों* को लागू करते हुए सबसे पुराने प्रस्तुत तुलनात्मक अवधि के प्रारम्भ से:

(क) सभी कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर जो निम्न के साथ जुड़े हुए है, उनके लिए आस्थगित कर आस्ति को उस सीमा तक मान्यता देगा कि इस बात की संभावना है उपलब्ध कर योग्य लाभ कटौती योग्य अस्थाई अन्तर में प्रयोग किया जा सकता है और आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देगा-

(i) प्रयोग-अधिकार आस्तियां व पट्टा दायित्व;

(ii) विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी प्रकार के अन्य दायित्व एवं संबंधित आस्ति की लागत के अंश के रूप में मान्य तदनुरूपी राशि, एवं"

(ख) उसी तारीख को प्रतिधारित उपार्जन के प्रारम्भिक शेष (अथवा 'इक्विटी' का अन्य घटक, यथा उचित) में समायोजन के रूप में संशोधनों को प्रारम्भिक रूप से लागू करने से संचित प्रभाव को मान्यता देगा।"

(ञ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 34" में, -

(i) अनुच्छेद 5 में, मद (ङ) में, शब्दों "महत्वपूर्ण लेखा नीतियां" के स्थान पर, शब्दों "सारवान लेखा नीति सूचना" को रखा जाएगा।

(ii) अनुच्छेद 59 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"60 *लेखा-नीतियों का प्रकटन,* जो भारतीय लेखा मानक 1 को संशोधित करता है। अनुच्छेद 5 को संशोधित करता है । एक प्रतिष्ठान इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2023 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू करेगा।"

[फा. सं. 01/01/2009-सीएल-V (पार्ट XII)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 111(अ) द्वारा तारीख 16 फरवरी, 2015 को प्रकाशित हुए थे और तारीख 23 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 255(अ) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

G.S.R. 242(E). — In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from 1st day of April, 2023.

2. In the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, in the "Annexure", under the heading "B. Indian Accounting Standards (Ind AS)",-

(A) in Indian Accounting Standard (Ind AS) 101, -

(i) after paragraph 39AG, the following shall be inserted, namely:-

"39AH *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*, amended paragraph B1 and added paragraph B14. An entity shall apply these amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2023.";

(ii) in Appendix B,

(a) in paragraph B1, for items (f) and (g), the following shall be substituted, namely:-

"(f) embedded derivatives (paragraph B9);

(g) government loans (paragraphs B10–B12);

(h) [Refer Appendix 1]; and

(i) deferred tax related to leases and decommissioning, restoration and similar liabilities (paragraph B14).";

(b) after paragraph B12, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

"B13 [Refer Appendix 1]

Deferred tax related to leases and decommissioning, restoration and similar liabilities

B14 Paragraphs 15 and 24 of Ind AS 12, *Income Taxes* exempt an entity from recognising a deferred tax asset or liability in particular circumstances. Despite this exemption, at the date of transition to Ind ASs, a first-time adopter shall recognise a deferred tax asset—to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised—and a deferred tax liability for all deductible and taxable temporary differences associated with:

(a) right-of-use assets and lease liabilities; and

(b) decommissioning, restoration and similar liabilities and the corresponding amounts recognised as part of the cost of the related asset.";

(iii) in Appendix 1,

(a) in paragraph 7, item (ii) shall be omitted;

(b) after paragraph 14, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"15. Paragraphs B1(h) and B13 of IFRS 1 related to exceptions to insurance contracts have not been included since these refer to amendments due to issuance of IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS has not been issued/notified. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 1, the paragraph numbers are retained in Ind AS 101.";

(B) in Indian Accounting Standard (Ind AS) 102, the footnote starting with the words "For example, in case" and ending with the words "not exercised", appearing on the heading before paragraph 24 '***If the fair value of the equity instruments cannot be estimated reliably***' shall be deleted and the same shall be added at the end of paragraph 23 at the words "equity to another".

(C) in Indian Accounting Standard (Ind AS) 103, in Appendix C, in paragraph 13, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

"(b) the date on which the transferee obtains control of the transferor;";

(D) in Indian Accounting Standard (Ind AS) 107, -

(i) for paragraph 21, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"21 In accordance with paragraph 117 of Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, an entity discloses material accounting policy information. Information about the measurement basis (or bases) for financial instruments used in preparing the financial statements is expected to be material accounting policy information.";

(ii) after paragraph 44HH, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"44II *Disclosure of Accounting Policies*, which amends Ind AS 1 amended paragraphs 21 and B5. An entity shall apply that amendment for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2023.";

(iii) in Appendix B, in paragraph B5,-

(a) for the opening paragraph, the following shall be substituted, namely:-

"Paragraph 21 requires disclosure of material accounting policy information, which is expected to include information about the measurement basis (or bases) for financial instruments used in preparing the financial statements. For financial instruments, such disclosure may include:"

(b) for the closing paragraph, the following shall be substituted, namely:-

"Paragraph 122 of Ind AS 1 also requires entities to disclose, along with material accounting policy information or other notes, the judgements, apart from those involving estimations, that management has made in the process of applying the entity's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.";

(E) in Indian Accounting Standard (Ind AS) 109, in Appendix B, in paragraph B4.3.12, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

"(b) a combination of entities or businesses under common control as described in Appendix C of Ind AS 103; or";

(F) in Indian Accounting Standard (Ind AS) 115, in Appendix 1,-

(i) in paragraph 2, for the words and figure "paragraph of 15", the word and figure "paragraph 51" shall be substituted;

(ii) in paragraph 5, for the word and letter "Appendix D" the word and letter "Appendix B" shall be substituted.;

(G) in Indian Accounting Standard (Ind AS) 1, -

(i) in paragraph 7, before the definition of "*General purpose financial statements*", the following shall be inserted, namely:-

"***Accounting policies* are defined in paragraph 5 of Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, and the term is used in this Standard with the same meaning.**";

(ii) in paragraph 10, in item (e), for the words "**significant accounting policies**", the words "**material accounting policy information**", shall be substituted.;

(iii) in paragraph 114, in item (c), for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

"(ii) material accounting policy information (see paragraph 117);";

(iv) for paragraph 117, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"Disclosure of accounting policy information

117 An entity shall disclose material accounting policy information (see paragraph 7). Accounting policy information is material if, when considered together with other information included in an entity's financial statements, it can reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements. "

(v) after paragraph 117, the following shall be inserted, namely:-

"117A Accounting policy information that relates to immaterial transactions, other events or conditions is immaterial and need not be disclosed. Accounting policy information may nevertheless be material because of the nature of the related transactions, other events or conditions, even if the amounts are immaterial. However, not all accounting policy information relating to material transactions, other events or conditions is itself material.

117B Accounting policy information is expected to be material if users of an entity's financial statements would need it to understand other material information in the financial statements. For example, an entity is likely to consider accounting policy information material to its financial statements if that information relates to material transactions, other events or conditions and:

(a) the entity changed its accounting policy during the reporting period and this change resulted in a material change to the information in the financial statements;

(b) the entity chose the accounting policy from one or more options permitted by Ind ASs;

(c) the accounting policy was developed in accordance with Ind AS 8 in the absence of an Ind AS that specifically applies;

(d) the accounting policy relates to an area for which an entity is required to make significant judgements or assumptions in applying an accounting policy, and the entity discloses those judgements or assumptions in accordance with paragraphs 122 and 125; or

(e) the accounting required for them is complex and users of the entity's financial statements would otherwise not understand those material transactions, other events or conditions—such a situation could arise if an entity applies more than one Ind AS to a class of material transactions.

117C Accounting policy information that focuses on how an entity has applied the requirements of the Ind ASs to its own circumstances provides entity-specific information that is more useful to users of financial statements than standardised information, or information that only duplicates or summarises the requirements of the Ind ASs.

117D If an entity discloses immaterial accounting policy information, such information shall not obscure material accounting policy information.

117E An entity's conclusion that accounting policy information is immaterial does not affect the related disclosure requirements set out in other Ind ASs.";

(vi) paragraphs 118, 119, 120 and 121 shall be omitted*;

(vii) for paragraph 122, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"122 An entity shall disclose, along with material accounting policy information or other notes, the judgements, apart from those involving estimations (see paragraph 125), that management has made in the process of applying the entity's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.";

(viii) after paragraph 139T, the following shall be inserted, namely:-

"139U [Refer Appendix 1]

139V *Disclosure of Accounting Policies*, amended paragraphs 7, 10, 114, 117 and 122, added paragraphs 117A–117E and deleted paragraphs 118, 119 and 121. An entity shall apply the amendments to Ind AS 1 for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2023.";

(ix) in Appendix 1,-

(a) in paragraph 6, for the item (x), the following item shall be substituted, namely:-

"(x) paragraphs 118-121"

(b) after paragraph 10, the following shall be inserted, namely:-

"11. Paragraph 139U of IAS 1 related to effective date of Amendments to IAS 1: *Classification of Liabilities as Current or Non-current* has not been included in Ind AS 1 as the corresponding amendments to Ind AS 1 have not been issued or notified. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1, the paragraph number is retained in Ind AS 1.";

in Indian Accounting Standard (Ind AS) 8, -

(i) in paragraph 5, for the definition of change in accounting estimate starting with the words "A change in" and ending with the words "corrections of errors", the following shall be substituted, namely:-

"***Accounting estimates*** **are monetary amounts in financial statements that are subject to measurement uncertainty.**";

(ii) for paragraph 32 and its heading, the following shall be substituted, namely:-

"**Accounting estimates**

32 An accounting policy may require items in financial statements to be measured in a way that involves measurement uncertainty—that is, the accounting policy may require such items to be measured at monetary amounts that cannot be observed directly and must instead be estimated. In such a case, an entity develops an accounting estimate to achieve the objective set out by the accounting policy. Developing accounting estimates involves the use of judgements or assumptions based on the latest available, reliable information. Examples of accounting estimates include:

(a) a loss allowance for expected credit losses, applying Ind AS 109, *Financial Instruments*;

(b) the net realisable value of an item of inventory, applying Ind AS 2 *Inventories*;

(c) the fair value of an asset or liability, applying Ind AS 113, *Fair Value Measurement*;

(d) the depreciation expense for an item of property, plant and equipment, applying Ind AS 16; and

(e) a provision for warranty obligations, applying Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.

32A An entity uses measurement techniques and inputs to develop an accounting estimate. Measurement techniques include estimation techniques (for example, techniques used to measure a loss allowance for expected credit losses applying Ind AS 109) and valuation techniques (for example, techniques used to measure the fair value of an asset or liability applying Ind AS 113).

32B The term 'estimate' in Ind AS sometimes refers to an estimate that is not an accounting estimate as defined in this Standard. For example, it sometimes refers to an input used in developing accounting estimates.";

(iii) for paragraph 34, the following shall be substituted, namely:-

"Changes in accounting estimates

* Refer Appendix 1

34 An entity may need to change an accounting estimate if changes occur in the circumstances on which the accounting estimate was based or as a result of new information, new developments or more experience. By its nature, a change in an accounting estimate does not relate to prior periods and is not the correction of an error.

34A The effects on an accounting estimate of a change in an input or a change in a measurement technique are changes in accounting estimates unless they result from the correction of prior period errors.";

(iv) before paragraph 36, the following heading shall be inserted, namely:-

"Applying changes in accounting estimates";

(v) for paragraph 38, the following shall be substituted, namely:-

"38 Prospective recognition of the effect of a change in an accounting estimate means that the change is applied to transactions, other events and conditions from the date of that change. A change in an accounting estimate may affect only the current period's profit or loss, or the profit or loss of both the current period and future periods. For example, a change in a loss allowance for expected credit losses affects only the current period's profit or loss and therefore is recognised in the current period. However, a change in the estimated useful life of, or the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in, a depreciable asset affects depreciation expense for the current period and for each future period during the asset's remaining useful life. In both cases, the effect of the change relating to the current period is recognised as income or expense in the current period. The effect, if any, on future periods is recognised as income or expense in those future periods.";

(vi) for paragraph 48, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"48 Corrections of errors are distinguished from changes in accounting estimates. Accounting estimates by their nature are approximations that may need changing as additional information becomes known. For example, the gain or loss recognised on the outcome of a contingency is not the correction of an error.";

(vii) after paragraph 54H, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"54I *Definition of Accounting Estimates*, amended paragraphs 5, 32, 34, 38 and 48 and added paragraphs 32A, 32B and 34A. An entity shall apply these amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2023. An entity shall apply the amendments to changes in accounting estimates and changes in accounting policies that occur on or after the beginning of the first annual reporting period in which it applies the amendments.";

(I) in Indian Accounting Standard (Ind AS) 12, -

(i) in paragraph 15, in item (b),-

(a) in sub-item (i), the word "and" shall be omitted.;

(b) for sub-item (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and

(iii) at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.";

(ii) in paragraph 22, for items (b) and (c), the following items shall be substituted, namely:-

"(b) if the transaction affects either accounting profit or taxable profit, or gives rise to equal taxable and deductible temporary differences, an entity recognises any deferred tax liability or asset and recognises the resulting deferred tax expense or income in profit or loss (see paragraph 59);

(c) if the transaction is not a business combination, affects neither accounting profit nor taxable profit and does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences, an entity would, in the absence of the exemption provided by paragraphs 15 and 24, recognise the resulting deferred tax liability or asset and adjust the carrying amount of the asset or liability by the same amount. Such adjustments would make the financial statements less transparent. Therefore, this Standard does not permit an entity to recognise the resulting deferred tax liability or asset, either on initial recognition or subsequently (see example below). Furthermore, an entity does not recognise subsequent changes in the unrecognised deferred tax liability or asset as the asset is depreciated.";

(iii) after paragraph 22, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"22A A transaction that is not a business combination may lead to the initial recognition of an asset and a liability and, at the time of the transaction, affect neither accounting profit nor taxable profit. For example, at the commencement date of a lease, a lessee typically recognises a lease liability and the corresponding amount as part of the cost of a right-of-use asset. Depending on the applicable tax law, equal taxable and deductible temporary differences may arise on initial recognition of the asset and liability in such a transaction. The exemption provided by paragraphs 15 and 24 does not apply to such temporary differences and an entity recognises any resulting deferred tax liability and asset.";

(iv) in paragraph 24,-

(a) in item (a), the word "and" shall be omitted.

(b) for item (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and

(c) at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.";

(v) after paragraph 98I, the following shall be inserted, namely:-

"98J *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*, amended paragraphs 15, 22 and 24 and added paragraph 22A. An entity shall apply these amendments in accordance with paragraphs 98K–98L for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2023.

98K An entity shall apply *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction* to transactions that occur on or after the beginning of the earliest comparative period presented.

98L An entity applying *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction* shall also, at the beginning of the earliest comparative period presented:

(a) recognise a deferred tax asset—to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised—and a deferred tax liability for all deductible and taxable temporary differences associated with:

(i) right-of-use assets and lease liabilities; and

(ii) decommissioning, restoration and similar liabilities and the corresponding amounts recognised as part of the cost of the related asset; and

(b) recognise the cumulative effect of initially applying the amendments as an adjustment to the opening balance of retained earnings (or other component of equity, as appropriate) at that date.";

(J) in Indian Accounting Standard (Ind AS) 34, -

(i) in paragraph 5, in item (e), for the words "significant accounting policies", the words "material accounting policy information" shall be substituted.;

(ii) after paragraph 59, the following shall be inserted, namely:-

"60 *Disclosure of Accounting Policies*, which amends Ind AS 1, amended paragraph 5. An entity shall apply that amendment for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2023.".

[F. No. 01/01/2009-CL-V (Part. XII)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 111(E), dated the 16th February, 2015 and last amended vide notification number G.S.R. 255 (E), dated the 23rd March, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.